



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 606 राँची, शुक्रवार, 21 आश्विन, 1945 (श०)
13 अक्टूबर, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2023

संख्या-एल0जी0-11/2017-77/लेज0, झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-09/10/2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023

(झारखण्ड अधिनियम- 13, 2023)

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2017) में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ. (1) यह अधिनियम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 10 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,--

(क) उपधारा (2) के खण्ड (घ) में, “माल या” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2क), के खण्ड (ग) में “माल या” शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. धारा 16 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में,--

(i) दूसरे परंतुक में, “उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) तीसरे परंतुक में, “उसके द्वारा किए गए संदाय” शब्दों के पश्चात्, “उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 17 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 में,--

(क) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में, “अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

“निम्नलिखित के सिवाय, उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा,--

(i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य; और

(ii) उक्त अनुसूची के पैराग्राफ 8 के खण्ड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किए जाएं”;

(ख) उपधारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: --

“(चक) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आश्रित हैं ;”।

5. धारा 23 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। (व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं हैं।)

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:--

“23. धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अन्तर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी,--

(क) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात्:--

(i) कोई व्यक्ति, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या जिन्हें कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है ;

(ii) कोई कृषक, भूमि की खेती की उपज की पूर्ति के विस्तार तक ;

(ख) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकेगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।”।

6. धारा 30 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 में उप-धारा (1) में,-

(क) शब्दों के लिए “रद्दीकरण आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर विहित रीति से:”, शब्दों के स्थान पर शब्द “ऐसे रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जैसा कि विहित की जाय” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा।

7. धारा 37 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

“(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों, पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

8. धारा 39 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

9. धारा 44 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: --

“(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

10. धारा 52 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(15) किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से उक्त तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

11. धारा 54 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में, “जिसके अन्तर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है,” शब्दों का लोप किया जाएगा।

12. धारा 56 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 56 में, “आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, तथा ऐसी रीति में संगणित किए जाने वाले, ऐसे आवेदन के प्राप्ति की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, साठ दिन से परे विलंब की ऐसी अवधि के लिए” शब्द रखे जाएंगे।

13. धारा 62 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (2) में,-

(क) “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर “साठ दिन” शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामिला के साठ दिन के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह उक्त निर्धारण आदेश की तामिला के साठ दिन से अधिक के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर साठ दिनों की एक और अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है, और यदि ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश को प्रतिसंहरण किया गया

समझा जाएगा, किन्तु धारा 47 के तहत विलंब फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।”।

14. धारा 109 का समावेशन- अपीलीय न्यायाधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“109 इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत गठित माल और सेवा कर न्यायाधिकरण इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण होगा।”।

15. धारा 110 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम में धारा 110 का लोप किया जायेगा।

16. धारा 114 में संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम में, धारा 114 का लोप किया जाएगा।

17. धारा 117 में संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 117 में,-

(क) उपधारा (1) में, “राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठों” शब्दों के स्थान पर, “राज्य पीठ” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में, खंड (क) और (ख) में, “राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ” शब्दों के पर, “राज्य पीठ” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

18. धारा 118 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (1) के खंड (क) में “राष्ट्रीय पीठ या प्रान्तीय पीठों” शब्दों के स्थान पर “प्रधान पीठ” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

19. धारा 119 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 119 में,-

(क) शब्द “राष्ट्रीय पीठ या प्रान्तीय पीठों” शब्दों के स्थान पर “प्रधान पीठ” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों” शब्दों के स्थान पर “राज्य पीठ” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

20. धारा 122 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क), के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो-

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसी पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है ;

(ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है ; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, तो दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो भी उच्चतर हो।”।

21. धारा 132 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,--

(क) खंड (छ), खंड (') और खंड (ट) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ठ) में, “खंड (क) से खंड (च)” शब्दों, कोष्ठक और अक्षरों के स्थान पर, “खंड

(क) से खंड (च) और खंड (ज) से खंड (झ)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iii) में, “जहां कर अपवंचन” शब्दों के स्थान पर, “खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (iv) में, “या खंड (छ) या खंड (ज)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

22. धारा 138 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 138 में,--

(क) उपधारा (1) के पहले परंतुक में, --

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज) और खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया है;”;

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है ;”;

(iv) खंड (ड.) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में “न्यूनतम रकम दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रूपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो,” शब्दों के स्थान पर “अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक” शब्द रखे जाएंगे।

23. नई धारा 158क का अंतःस्थापना (कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति को सम्मति के आधार पर साझा करना)

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 158 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“158क (1) धारा 133, 152 और 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित व्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, झारखण्ड सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, अधिसूचित सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) धारा 25 की अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत विशिष्टियां या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाइल की गई विवरणी में प्रस्तुत किए गए व्यौरे;

(ख) बीजक के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के व्यौरे और धारा 68 की अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां;

(ग) ऐसे अन्य व्यौरे, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन व्यौरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिए,--

(क) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत व्यौरों के संबंध में पूर्तिकर्ता की सहमति ; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत व्यौरों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति केवल जहां ऐसे व्यौरों के अन्तर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी है, ऐसे प्रारूप और रीति में अभिप्रास की जाएगी, जो विहित की जाएं।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।”

24. झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट।

(1) झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 7 और पैरा 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (2019 के अधिनियम सं0 31 की धारा 31 द्वारा यथा अंतःस्थापित) को 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है किंतु जिसे संग्रहित नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नलिन कुमार)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्श

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2023

संख्या-एल0जी0-11/2017-78/लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-09/10/2023 को अनुमत झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (Jharkhand Act- 13, 2023)

An Act to amend Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act 12, 2017).

Be it enacted by Legislature of Jharkhand in the Seventy-Fourth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement. - (1) This Act may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government of Jharkhand may, by notification in the Official Gazette, appoint:

2. Amendment of Section 10.

In the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Jharkhand Goods and Services Tax Act), in section 10,—

- (a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be omitted;
- (b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be omitted.

3. Amendment of Section 16.

In section 16 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (2),—

- (i) in the second proviso, for the words "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be substituted;
- (ii) in the third proviso, after the words "made by him", the words "to the supplier" shall be inserted.

4. Amendment of Section 17.

In section 17 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act,—

- (a) in sub-section (3), in the *Explanation*, for the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be substituted, namely:—
"except,—
(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and
(ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";
- (b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;"

5. Amendment of Section 23.

In section 23 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act."

6. Amendment of Section 30.

In section 30 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (1),—

- (a) for the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted;
- (b) the proviso shall be omitted.

7. Amendment of Section 37.

In section 37 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details."

8. Amendment of Section 39.

In section 39 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return."

9. Amendment of Section 44.

Section 44 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return."

10. Amendment of Section 52.

In section 52 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."

11. Amendment of Section 54.

In section 54 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (6), the words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be omitted.

12. Amendment of Section 56.

In section 56 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be substituted.

13. Amendment of Section 62.

In section 62 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (2),—

(a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue."

14. Substitution of Section 109- Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.

For section 109 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, the following section shall be substituted, namely:—

“109. Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.”

15. Amendment of Section 110.

In the Jharkhand Goods and Services Tax Act, section 110 shall be omitted.

16. Amendment of Section 114.

In the Jharkhand Goods and Services Tax Act, section 114 shall be omitted.

17. Amendment of Section 117.

In section 117 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act,—

- (a) in sub-section (1), for the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be substituted;
- (b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be substituted.

18. Amendment of Section 118.

In section 118 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words “National Bench or Regional Bench”, the words “Principal Bench” shall be substituted.

19. Amendment of Section 119.

In section 119 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act,—

- (a) for the words “National or Regional Benches”, the words “Principal Bench” shall be substituted;
- (b) for the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be substituted.

20. Amendment of Section 122.

In section 122 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1B) Any electronic commerce operator who—

- (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;
- (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
- (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher.”.

21. Amendment of Section 132.

In section 132 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (1),—

- (a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted;
- (b) in clause (l), for the words, brackets and letters “clauses (a) to (k)”, the words, brackets and letters “clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)” shall be substituted;
- (c) in clause (iii), for the words “any other offence”, the words, brackets and letter “an offence specified in clause (b),” shall be substituted;
- (d) in clause (iv), the words, brackets and letters “or clause (g) or clause (j)” shall be omitted.

22. Amendment of Section 138.

In section 138 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act,—

- (a) in sub-section (1), in the first proviso,—
 - (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
 "(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;"
 - (ii) clause (b) shall be omitted;
 - (iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
 "(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;"
 - (iv) clause (e) shall be omitted;
- (b) in sub-section (2), for the words "ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved" shall be substituted.

23. Insertion of new section 158A. (Consent based sharing of information furnished by taxable person)

After section 158 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely:—

"158A. (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

- (a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;
 - (b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;
 - (c) such other details as may be prescribed.
- (2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—
- (a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and
 - (b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,
 in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return."

24. Retrospective exemption to certain activities and transactions in Schedule III to the Jharkhand Goods and Services Tax Act.

(1) In Schedule III to the Jharkhand Goods and Services Tax Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of Act 31 of 2019) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नलिन कुमार)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
